

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश

नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, काला कांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ - 226007

नोटिस

प्रेषक,
एडज्यूडिकेटिंग ऑफिसर,
भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश,
नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, काला कांकर हाउस, लखनऊ।

संख्या: 20/03/14/90/36852/वि. एवं शि. प्र./रेरा/2017-18,
दिनांक : 14-03-2020

सेवा में,

NEW WAY HOMES PRIVATE LIMITED
GF-11, 1ST.FLOOR, PRAKSHDEEP BUILDING, 7 TOLSTOY MARG, CONNAUGHT PLACE,
NEW DELHI-110001

विधि एवं शिकायत प्रकोष्ठ,
भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर
प्रदेश,
लखनऊ।

विषय: भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-31 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत शिकायत संख्या - ADJ/NCR144/06/0086/2019।

Manish Kumar बनाम NEW WAY HOMES PRIVATE LIMITED

महोदय,

- एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध Manish Kumar द्वारा क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में शिकायत प्रस्तुत की गयी है।
- शिकायत की सुनवाई एडज्यूडिकेटिंग ऑफिसर के समक्ष दिनांक 19-06-2020 प्रातः 10:30 बजे एच-169 सेक्टर गामा - II, (ओल्ड ग्रेटर नॉएडा अथॉरिटी ऑफिस) ग्रेटर नॉएडा गौतम बुद्ध नगर में नियत है।
 - इस नोटिस के साथ शिकायत की प्रति संलग्नकों सहित आपको प्रेषित करते हुए अपेक्षा है कि उर्पयुक्त शिकायत के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/कम्पनी सचिव/लागत लेखाकार/ विधि व्यवसायी/नामित अधिकारी के माध्यम से उपस्थित होकर आवश्यक साक्ष्यों सहित अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें।
 - वादी/प्रतीवादी यदि अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को अपनी शिकायत की पैरवी हेतु नामित करते हैं, तो नामित व्यक्ति के पास लिखित "Authorization Letter" होना अनिवार्य है।
 - नियत तिथि पर आपके द्वारा अभिकथन/आपत्ति तथा सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - अभिकथन/आपत्ति पर स्पष्ट रूप से अंकित करें कि क्या शिकायत कर्ता द्वारा शिकायत के "Details of Payment Made to Promoter" भाग पर भुगतान का दिया गया विवरण आपको स्वीकार है। यदि नहीं तो आधार स्पष्ट करें।
 - एतद्वारा आपको सतर्क किया जाता है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित न होने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत न करने की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जाएगी और उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज्ञा से

(एस ० के ० वर्मा)
उपसचिव

संख्या: /रिट अनु./रेरा/2017-18, दिनांक : 14-03-2020
प्रतिलिपि:

- Manish Kumar, को इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथि, समय एवं स्थान पर स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/कम्पनी सचिव/लागत लेखाकार/ विधि व्यवसायी/नामित अधिकारी के माध्यम से उपस्थित होकर आवश्यक साक्ष्यों सहित अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें।

(एस ० के ० वर्मा)
उपसचिव